न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
20 / 2019	प्रा0पत्र 229(2) RTA	27.06.2019	18.12.2024

इन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील व जिला झुंझुनू (राज.)

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. रामकुमार पुत्र मालाराम जाति दरौगा निवासी लादड़िया तहसील व जिला चूरू
1/1 विजेन्द्रसिंह पुत्र रामकुमार जाति दरौगा निवासी लादड़िया तहसील व जिला चूरू
1/2 मदन कंवर पुत्री रामकुमार जाति दरौगा निवासी लादड़िया तहसील व जिला चूरू
1/3 सुमन कंवर पुत्री रामकुमार जाति दरौगा निवासी लादड़िया तहसील व जिला चूरू
1/4 ओमल कंवर पुत्री रामकुमार जाति दरौगा निवासी लादड़िया तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229(2) RTA

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री पवन कुमार स्वामी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ अप्रार्थीगण

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 229(2) आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया है कि

प्रार्थी ने कृषि भूमि ख.नं. 538 / 283 तादादी 10 बीघा (2.5232 हैक्टेयर) रोही मोजा लादड़िया तहसील व जिला चूरू में स्थित है जो कृषि भूमि प्रार्थी ने अप्रार्थी रामकुमार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.2005 उप पंजीयक चूरू द्वारा खरीद की थी तथा जिसका अलग जाता किया जा चुका है। जिस कृषि भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा, अधिकार व स्वामित्व है। यह कि प्रार्थी इन्द्र सिंह की उक्त कृषि भूमि के उत्तरी तरफ अप्रार्थी विक्रेता रामकुमार की कृषि भूमि खसरा नं. 243 तादादी 19 बीघा 03 बिश्वा (4.8435 हैक्टेयर) व खसरा नं. 283 तादादी 14 बीघा 05 बिश्वा (3.6042 हैक्टेयर) कुल किता 02 कुल तादादी 32 बीघा 05 बिश्वा (8.1948 हैक्टेयर) स्थित है। प्रार्थी इन्द्र सिंह की कृषि भूमि की अप्रार्थी रामकुमार की कृषि भूमि के दक्षिण तरफ स्थित है तथा प्रार्थी इन्द सिंह द्वारा एक विविध प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी धारा 111 — 128 एल.आर.ए.के तहत अदालतवाला में प्रस्तुत किया था जिस विविध प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 04.03[illegible] की गई जिसमें अप्रार्थी रामकुमार व उसके पुत्रों द्वारा पटवारी [illegible] किया एवम् उसका विरोध किया जो कि एक साक्ष्य [illegible] किए, बिना साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश किये गये पत्थर गढ़ी [illegible] 111--128 L[illegible] का विविध प्रार्थना पत्र दिनांक 21.05.2019 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया है उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested

44

निर्णय के पुनर्विलोकन (Review) किये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी रामकुमार से बतौर रजिस्ट्री बैनामा से दिनांक 07.07.2005 को खरीद की और उसके बाद उक्त कृषि भूमि का दोनों ने प्रार्थी व अप्रार्थी ने अलग अलग खाता लगान कायम करवाया तथा प्रार्थी ने अपनी उक्त कृषि भूमि पर कब्जा वा अधिकार कायम किया मगर अप्रार्थी जो एक शातिर चालाक व्यक्ति है के मन में लोभ लालच आ गया तथा अप्रार्थी ने नाजायज रूप से प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि मे से कुछ जमीन अपनी तरफ दबा ली व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को अपनी जमीन का माप व सीमांकन राजीनामा करने के लिए कहा व कहलवाया मगर अप्रार्थी रामकुमार व उसके अन्य परिवारजन नहीं माने जिस कारण प्रार्थी द्वारा उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया की गई।

3. यह कि प्रार्थी इन्द्र सिंह ने दिनांक 04.03.2016 को तहसीलदार चूरू को एक सीमा ज्ञान का प्रार्थना पत्र दिया जिसकी पालना हल्का पटवारी दिनांक 12.03.2016 की गई थी जिसमें अप्रार्थी रामकुमार व उसके पुत्रों ने उक्त खेत में पटवारी हल्का को जरीब नहीं डालने दी जिसका हवाला पटवारी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.2016 में स्पष्ट किया गया है।

यह कि अप्रार्थी रामकुमार द्वारा यह बैनामा जारी करवाया गया था तथा अप्रार्थी स्वयं उप पंजीयक कार्यालय चूरू में हाजिर हुआ एवं बैनामा तैयार करवाया गया जो कि एकल खातेदार अप्रार्थी रामकुमार होने के कारण उक्त कृषि भूमि का बैनामा दिशा एवं पड़ौसियों का अंकन कर बैनामा तैयार करवाकर गया।

यह कि उपरोक्त दस्तावेजी व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित हो जाता है कि प्रार्थी इन्द्र सिंह खसरा नं. 538/283 तादादी 10 बीघा रोही लादड़िया की कृषि भूमि का सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी का अधिकारी है और उसका हक, अधिकार व स्वामित्व है प्रार्थी इन्द्र सिंह का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है तथा पूर्व साक्ष्य तथा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रार्थना पत्र पूर्णतया प्रार्थी के पक्ष में साबित है

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस प्रर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र राहड़ ने उपस्थित होकर वकालत नामा पेश किया तथा अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है।

यह कि प्रार्थी इन्द्र सिंह ने पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत पारा 229 आर.टी. एक्ट में गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रकरण 7/16 जो एल.आर. एक्ट की पारा 111 व 128 के निर्णय के संबंध में पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत पारा 229 आर. टी एक्ट में पोषणीय नहीं है एल. आर. एक्ट में पुनर्विलोकन बाबत अलग व्यवस्था है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र की मद 1 से 6 में समस्त कथन वास्तविकता के विपरीत दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र मैं जो तथ्य व विन्दू बतलाये गये है उनकी बाबत न्यायालय द्वारा पुर्ण रूप से विवेचन कर निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested

दिनाक 21.5.2019 को कर दिया गया है। पुन नये सीरे से पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र के जरिए नये सिरे से निर्णय नहीं किया जा सकता है प्रार्थी जो अपील व मूल प्रकरण की तरह पुर्नविलोकन प्रार्थनापत्र का शिर्षक निर्धारण करने हेतु जो पेश किया है जो कानूनन पोषणीय नहीं है पुनर्विलोकन प्रार्थना--पत्र में बहुत ही सीमित क्षेत्र है। जो प्रथम दृष्टीगत त्रुटि को ठीक किया जा सकता है सम्पूर्ण निर्णय को तथा निर्णय में दिये गये न्यायालय के मतों को परिवर्तीत नहीं किया जा सकता ।

यह कि पुनर्विलोकन प्रार्थना--पत्र निर्णय दिनाक 21.05.2019 मैं क्या क्या प्रत्यक्ष दृष्टिगत त्रुटिया है नहीं बताई गई है। कानूनन निर्णय की दृष्टिगत प्रत्यक्ष त्रुटिया पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र में बतलाई जानी आज्ञापक है पुनर्विलोकन मात्र प्रत्यक्ष दृष्टिगत त्रुटिया के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष त्रुटिया सुधारने हेतु प्रावधान है न कि नये सिरे से निर्णय में दिये अभिकथन को बदलने बाबत। पुनर्विलोकन प्रार्थना--पत्र की आड़ में मूल प्रकरण को पुःन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

इस मूल प्रकरण में विवाद बाबत गुणावगुण के आधार पर निर्णय दिनांक 21.05.2019 को हुआ है पुनर्विलोकन के प्रार्थना पत्र के जरिये प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के मूल प्रकरण में उठाये गये प्रश्नों का न्यायालय निर्णय कर दिया गया है। सम्पूर्ण नये सिरे से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के जरिये नहीं किया जा सकता है।

यह कि इस के मूल प्रकरण में विवाद बाबत गुणावगुण के आधार पर दिनाक 21.5.19 को हुआ है पुनर्विलोकन के प्रार्थनापत्र के जरिये का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के मूल प्रकरण में उठाये गये प्रश्नो का न्यायालय द्वारा निर्णय कर दिया गया है। सम्पूर्ण निर्णय नये पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र के जरिये नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थी संख्या 01 के फौत हो जाने पर उसके वारिसान को अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया जिनकी ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र राहड़ ने वकालत नामा पेश किया व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार स्वामी ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष ने प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यहां दिए गए टेक्स्ट में एक कानूनी विवाद का विवरण है जिसमें दो पक्षों, प्रार्थी इन्द्र सिंह और अप्रार्थी रामकुमार, के बीच कृषि भूमि के स्वामित्व और सीमा निर्धारण से संबंधित एक केस का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में प्रार्थी इन्द्र सिंह ने 07 जुलाई 2005 को रामकुमार से कृषि भूमि खरीदी थी, लेकिन बाद में रामकुमार ने कुछ हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा क[illegible]रोप लगाया। इसके बाद, प्रार्थी ने प्रशासनिक और कानूनी क[illegible]भांकन (पथरगढ़ी) और विभिन्न कानूनी आवेदन शामिल हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य बिंदुः

1. इन्द्र सिंह ने 07 जुलाई 2005 को रामकुमार से कृषि भूमि खरीदी थी। बाद में भूमि का सीमांकन किया गया, और इन्द्र सिंह ने अपनी भूमि पर कब्जा कर लिया।
2. रामकुमार ने इन्द्र सिंह की भूमि का एक हिस्सा कब्जा कर लिया और इन्द्र सिंह ने उसे अपनी भूमि वापस दिलाने के लिए कानूनी कदम उठाए। इसके बाद, प्रार्थी ने तहसीलदार चूरू को सीमा निर्धारण के लिए आवेदन किया था।
3. रामकुमार और उसके परिवार ने पटवारी द्वारा सीमा निर्धारण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और उसे रोकने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ गया
4. दिनांक 21.05.2019 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.ए. का पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने व मौके पर अप्रार्थी की ढाणी होने से प्रार्थना–पत्र खारिज की गई है।
5. इन्द्र सिंह ने 21 मई 2019 को जो निर्णय हुआ था, उसके पुनर्विलोकन (Review) की मांग की।
6. रामकुमार ने इसे अस्वीकार करने का दावा किया और कहा कि पहले से निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है और पुनर्विलोकन की प्रक्रिया के तहत नया निर्णय नहीं किया जा सकता

यह स्पष्ट है कि यदि न्यायालय को ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब आदेश पारित किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या किसी भूल या गलती के कारण से जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होता हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण हो तो पुनर्विलोकन किया जाकर आदेश पारित किया जा सकता तथा न्यायालय को उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested